मुन्तकिली प्रकरण सं0 37/2019 (RCMS 2019/00060) अनवानी 1. तरसेम सिंह पुत्र श्री गुरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी गदरखेडा तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर **बनाम** 1. सुखपाल सिंह पुत्र श्री गुरजन्ट सिंह जाति जटसिख निवासी गदरखेडा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर 2 उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

09.05.2019

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री मोहन लाल माहर एवं अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता श्री कृष्णराम अलीपुरा उपस्थित है। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री मोहन लाल माहर का कथन था कि अप्रार्थी संख्या 1 सुखपाल सिंह द्वारा एक नियमित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में इस आश्य का प्रस्तुत किया है कि चक 3 एस.डी.एस. के खाता संख्या 26/19, 56/55, 29/28, 80/116, 81/117 के मुश्तर्का खाता में प्रार्थी एवं अप्रार्थी के साथ कृषि भूमि है। जिसके सिंचाई सुविधा हेतु नलकूप मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 18–17–25 में से होकर मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 1 ता 5 में दबी पाईप लाईन को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया है। इसलिए क्षतिग्रस्त पाईप लाईन को जोडा जाकर स्वीकृति फरमाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रकरण सुखपाल सिंह बनाम जलकौर वगैरहा प्रकरण संख्या 46/2017 के रूप में लम्बित है। जिसमें उसे निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नहीं है।

उनका आगे कथन था कि प्रार्थी तरसेम सिंह जो कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी संख्या 11 के रूप में अंकित है और उसने धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र अधनीस्थ न्यायालय के समक्ष इस आश्य का प्रस्तुत किया कि मौके पर कोई पाईप लाईन नहीं है और ना ही क्षतिग्रस्त किया गया है। इसलिए प्रार्थी को जबरन पाईप लाईन डालने से अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23.01.2019 को उक्त प्रार्थना पत्र बिना किसी उचित कारण के निरस्त कर दिया और आगामी सुनवाई हेतु दिनांक 13.02.2019 निश्चित कर दी।

उनका आगे यह भी कथन था कि अप्रार्थी का मुख्य अनुतोष केवल मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 18—17—25 में से होकर मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 1 ता 5 में से Under Ground पाईप डालने बाबत है जबकि मौके पर हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार कोई पाईप लाईन बिछी नहीं है जबकि अप्रार्थी जबरन बिना किसी स्वीकृति के निर्णय से पूर्व ही पाईप डालना चाहता है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को बिना किसी उचित कारण के निरस्त कर दिया है और मूल निर्णय से पूर्व ही आदेश पारित कर दिया। जिससे प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन था कि आदेश दिनांक 23.01.2019 के पश्चात आगामी तारीख पेशी दिनांक 13.02.2019 को फैसला भी उसके हक में होगा, जबकि प्रार्थी/अप्रार्थी संख्या 11 का मूल प्रार्थना पत्र में जवाब ही प्रस्तुत नहीं हुआ है। इसलिए प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन था कि अप्रार्थी सुखपाल सिंह काफी राजनैतिक प्रभाव वाला व्यक्ति है और उसके प्रभाव के कारण छोटी छोटी पेशियां दी जा रही है और सुखपाल सिंह ने अदालत में स्पष्ट कहा है कि फैसला उसके हक में होगा। चूंकि अप्रार्थी सुखपाल सिंह राजनैतिक प्रभाव वाला व्यक्ति है इसलिए उसके राजनैतिक दबाव के कारण उसे निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा इसलिए यह प्रकरण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल किया जावे। अपने कथन के समर्थन में उनके द्वारा आरआरटी 2014(1) के पृष्ठ संख्या 523 प्रहलाद और अन्य

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

बनाम श्रीराम एवं अन्य एवं आर.टार.ट्री. 2019 के पृष्ठ संख्या 68–69 का न्यायिक दृष्टांत पेश करते हुए अधीनस्थ न्यायालय से अन्यत्र सक्षम न्यायालय में प्रकरण मुंतकिल करने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत अप्रार्थी सुखपाल सिंह के विद्वान अभिभाषक का कथन था कि उसका प्रकरण वर्ष 2017 से लम्बित चला आ रहा है। उक्त प्रकरण अत्यंत आवश्यक प्रकृति का है। जिसका अब तक अन्तिम रूप से निस्तारण हो जाना चाहिए था किन्तु प्रार्थी द्वारा जानबूझ कर प्रकरण में विलम्ब करने की नियत से यह मुंतकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। उचित समय पर निस्तारित न होने के कारण प्रार्थी को अपनी पर्याप्त रूप फसल प्राप्त करने में काफी क्षति उठानी पड रही है इसलिए मुंतकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उनका आगे यह भी कथन था कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.01.2019 को पारित किया गया निर्णय विधिसम्मत् है जो मुकद्दमा मुंतकिली का कोई आधार नहीं हो सकता। अतः प्रार्थी का मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन था कि प्रार्थी एक साधारण व्यक्ति है और उसका किसी प्रकार से कोई राजनैतिक प्रभाव नहीं है केवल मात्र अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित प्रकरण को मुंतकिल कराने के उद्देश्य से यह आधार बनाया गया है। राजनैतिक प्रभाव का आरोप एक साधारण प्रकृति का है जो कभी भी किसी समय किसी पर भी लगाया जा सकता है। अतः मुंतकिल प्रार्थना पत्र आधारहीन होने के कारण खारिज किया जावे और उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को शीघ्र निस्तारण करने के आदेश दिये जावे।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 46/2017 अनवान सुखपाल सिंह बनाम जलकौर वगैरहा अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को मुंतकिल किये जाने हेतु यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी सुखपाल सिंह को काफी राजनैतिक प्रभाव वाला व्यक्ति बताकर अधीनस्थ न्यायालय से निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना प्रकट की है। प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी की पैरावार टिप्पणी दिनांक 08.04.2019 प्राप्त हुई है, का भी अवलोकन किया गया जिसमें उपखण्ड अधिकारी ने प्रार्थी द्वारा लगाये गए आरोपों का खण्डन करते हुए प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं की है। मुकद्दमा मुंतकिली के लिए कोई ठोस आधार होना आवश्यक है। हालांकि प्रार्थी द्वारा राजनैतिक दबाव का लगाया गया आरोप साधारण प्रकृति का है जो मुकद्दमा मुंतकिली का कोई उचित आधार नहीं बनाता है। फिर भी हम चाहते है कि प्रार्थी का न्याय प्रणाली में पूर्णतया विश्वास बना रहे इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाश में न्यायहित में उक्त प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय से अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल किया जाना उचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तरसेम सिंह द्वारा प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 46/2017 अनवान सुखपाल सिंह बनाम जलकौर वगैरहा अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर के न्यायालय में

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मुंतकिल किये जाने के आदेश दिये जाते है और साथ ही उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को यह भी निर्देश दिया जात है कि उक्त प्रकरण पुराना होने एवं अत्यन्त आवश्यक प्रकृति का होने के कारण दिन प्रतिदिन नियमित रूप से दोनों पक्षों की नियमानुसार सुनवाई कर गुणदोष के आधार पर सम्बन्धित विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र निस्तारण करने की कार्यवाही करें। दोनों पक्षों को दिनांक 13.05.2019 को उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए भी पाबन्द किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर/श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर सम्बन्धित मूल प्रकरण को शीघ्र उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में भिजवावें। पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 09.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद मदन नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर